

२०

न्यायालय राजस्व मण्डल, मोप्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : १०३०-एक/२००४ - विरुद्ध आदेश
दिनांक २४-५-२००४ - पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
- प्रकरण क्रमांक ९८/१९९४-९५ निगरानी

राधाकृष्ण तनय भूपनारायण

ग्राम जोबगढ़ तहसील देवसर

जिला सीधी, मध्य प्रदेश

—आवेदक

विरुद्ध

१- मोप्र०शासन

२- ग्राम पंचायत जोबगढ़ द्वारा सचिव

ग्राम पंचायत जोबगढ़ तहसील देवसर

जिला सीधी, मध्य प्रदेश

—अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

(आवेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

✓ (आज दिनांक ०१ - ०८-२०१८ को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र०क० ९८/१९९४-९५
निगरानी में पारित आदेश दिनांक २४-५-२००४ के विरुद्ध मोप्र० भू राजस्व
संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।



2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि नायव तहसीलदार देवसर जिला सीधी ने प्रकरण क्रमांक 19 अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 26-9-1994 से ग्राम जोबगढ़ की निम्नानुसार आराजी आवेदक के हित में म०प्र०कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्थामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की :-

<u>ग्राम का नाम</u>	<u>सर्वे क्रमांक</u>	<u>रकबा हैक्टर में</u>
जोबगढ़	534	0.33
	431	0.30
	432	0.06
	538	0.03

नायव तहसीलदार देवसर जिला सीधी के आदेश दिनांक 6-10-1994 के विरुद्ध सरपंच ग्राम पंचायत जोबगढ़ ने अपर कलेक्टर बैद्धन जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर बैद्धन ने प्रकरण क्रमांक 54/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-2-1995 से निगरानी इस आधार पर अमान्य कर दी, क्योंकि सरपंच ग्राम पंचायत जोबगढ़ नायव तहसीलदार न्यायालय में पक्षकार नहीं था। इस आदेश के विरुद्ध सरपंच ग्राम पंचायत जोबगढ़ ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 98/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-5-2004 से अपर कलेक्टर बैद्धन का आदेश दिनांक 8-2-1995 एवं भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें पाने के कारण नायव तहसीलदार देवसर जिला सीधी का आदेश दिनांक 6-10-1994 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों क्वारा प्रस्तुत तर्कों के क्रम में प्रथमतः विचार किया जाना है कि सरपंच ग्राम पंचायत यद्यपि नायव तहसीलदार

✓

के न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है तब क्या उसे नायव तहसीलदार के भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण करने की पात्रता है अथवा नहीं ?

1. गंभीर सिंह विरुद्ध दिलीपकुमार 1992 रा०नि० 355 का दृष्टांत है कि म०प्र०कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत आदेश पारित किये जाने पर प्रत्येक नागरिक को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का संविधिक अधिकार प्राप्त है।
2. गोविन्द विरुद्ध लिमाजी 1986 रा०नि० 94 में बताया गया है कि जहाँ अधिकमण निस्तार की भूमि पर किया गया हो, निस्तार का अधिकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति पक्षकार माना जावेगा।


वाद विचारित भूमि ग्राम जोबगढ़ की शासकीय भूमि है जो प्रत्येक ग्रामीण के निस्तार के लिये शासन से आरक्षित थी ऐसी भूमि व्यक्ति विशेष के हित में आवंटित/व्यवस्थापित कर दिये जाने से प्रत्येक ग्रामवासी हितबद्ध पक्षकार होकर निगरानी कर सकता है, इस सम्बन्ध में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा छारा आदेश दिनांक 24-5-2004 में निकाला गया निष्कर्ष सही है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से यह भी परिलक्षित है कि उक्त पद 2 में अंकित भूमि पर आवेदक का 2-10-1884 के पूर्व का कब्जा भी नहीं है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 24-5-2004 के पद 4 में अधिनियम में भूमि व्यवस्थापन हेतु पात्र/अपात्र व्यक्ति की विवेचना की है जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 2 (ए) में दी गई व्यवस्था अनुसार आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र नहीं पाया गया है क्योंकि आवेदक के पास भूमि व्यवस्थापन के पूर्व से स्वयं के नाम 1.21 है। भूमि तथा आवेदक के पिता के नाम 6-26 हैक्टर भूमि है। आवेदक के भूमिहीन न होते हुये तथा बड़ा कास्तकार होते हुये भी नायव तहसीलदार देवसर ने प्रकरण क्रमांक 19 अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 6-10-1994 से आवेदक के हित में भूमि व्यवस्थापित कर अनुचित लाभ पहुंचाया है जिसके

(4) निगरानी प्र०क० : 1030-एक/2004

कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 24-5-2004 से दोनों
अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करने में वृति नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की
जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र०क० 98/1994-95 निगरानी
में पारित आदेश दिनांक 24-5-2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।



(एस०प्रस०अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

